आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

28/8/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-42/2023-2024

बबलु उराँव,..... आवेदक।

बनाम्

(1) गीता देवी, (2) मंजु देवी,
(3) वीणा देवी, (4) गोपाल घोष,
(5) मीना देवी, (6) सरस्वती देवी,
(7) प्रेम कुमार चौधरी, (8) राणी,
(9) इन्दु देवी, (10) सिन्धु देवी,
(11) मंटु कुमार,..... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक बबलु उराँव, पिता–स्व० महावीर उराँव, जाति–उराँव निवास ग्राम–खादगढ़ा मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी भूमि पर विपक्षीगण (1) गीता देवी, पति–रामगोविन्द चौबे, (2) मंजु देवी, पति–रामनन्द तिवारी, (3) वीणा देवी, पति–पंकज वर्णवाल, (4) गोपाल घोष, पिता–स्व० अमूल्य घोष, (5) मीना देवी, पति–गोपाल कुमार, (6) सरस्वती देवी, पति–सत्यनारायण प्रसाद, (7) प्रेम कुमार चौधरी, पिता–कमल किशोर चौधरी, (8) राणी, पति–सुरेन्द्र लाल, (9) इन्दु देवी, पति–स्व० अशोक प्रसाद, (10) सिन्धु देवी, पति–रामानन्द प्रसाद, (11) मंटु कुमार, पिता–गिन्नीलाल वर्णवाल, सभी निवासी ग्राम–मधुकम तालाब नरिया नगर मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
मधुकम	204	69	636	26 डी०

28/8/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर०एस० खतियान में शनिचरवा उराँव, वल्द कुंवर उराँव वगै०, कौम उराँव, शाकिन देह के नाम दर्ज है।

आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि आर०एस० खतियान शनिचरवा उराँव, वगै० के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत शनिचरवा उराँव अपने पीछे दो पुत्र कुंवर उराँव, और महादेव उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। महादेव उराँव अपने पीछे महावीर उराँव को छोड़ गये। महावीर उराँव अपने पीछे बबलु उराँव (आवेदक) को छोड़ गये हैं। बबलु उराँव खतियानी रैयत के वंशज हैं।

विपक्षीगण को वर्णित भूमि की नोटिस डाक के माध्यम से भेजी गयी है। विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। आवेदक के द्वारा Track Consignment भी दाखिल किया गया है। तत्पश्चात् समाचार पत्र के माध्यम से विपक्षीगण को नोटिस प्रकाशित किया गया। विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा वाद को एकपक्षीय सुनवाई करने हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया। वाद की सुनवाई एकपक्षीय करने हेतु स्वीकृत किया गया। आवेदक की ओर से एक स्वतंत्र गवाह अमर कुमार राय, पिता–श्री सागर राय, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दिया है, कि वर्णित भूमि पर विपक्षीगण गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिए है। आवेदक बबलु उराँव, पिता–स्व॰ महावीर उराँव भी गवाही दिये है, जिसमें आवेदक कहते हैं कि विपक्षीगण द्वारा मेरे जमीन को हड़प लिया गया है। तत्पश्चात् आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा कागजातों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह

28/8/24

कृ०पृ०उल्टे

ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा आवेदक की अपनी खतियानी जमीन है। विपक्षीगण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन पर विपक्षीगण (1) गीता देवी, पति–रामगोविन्द चौबे, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–3.30 डिसमिल, (2) मंजु देवी, पति–रामनन्द तिवारी, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–1.65 डिसमिल, (3) वीणा देवी, पति–पंकज वर्णवाल, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–2.88 डिसमिल, (4) गोपाल घोष, पिता–स्व० अमूल्य घोष, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–3.30 डिसमिल, (5) मीना देवी, पति–गोपाल कुमार, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–1.85 डिसमिल, (6) सरस्वती देवी, पति–सत्यनारायण प्रसाद, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–3.30 डिसमिल, (7) प्रेम कुमार चौधरी, पिता–कमल किशोर चौधरी, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–4.95 डिसमिल, (8) राणी, पति–सुरेन्द्र लाल, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–0.82 डिसमिल, (9) इन्दु देवी, पति–स्व० अशोक प्रसाद, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–0.82 डिसमिल, (10) सिन्धु देवी, पति–रामानन्द प्रसाद, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–0.82 डिसमिल, (11) मंटु कुमार, पिता–गिन्नीलाल वर्णवाल, मौजा–मधुकम, थाना नं०–204, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–636, रकवा–2.06 डिसमिल, पर अवैध रूप से दखलकार को बेदखल करते हुए, आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

M:-J 28/8/24

कृ०पृ०उल्टे

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित उनके वैध वंशजों को दखल–देहानी सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

M:- 28/8/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

M:- 28/8/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 228 (11) दिनांकः– 02/9/24

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, हेहल राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

M:- 2/9/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.02.19 16:46:43 +05:30
Location: 192.168.67.39